न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 06/2015

A 1/17

प्रार्थीया

1.भंवरीदेवी पत्नी मोहनराम जाति जाट उम्र 42 वर्ष निवासी शेषमा का बास तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1.शिवबक्षराम पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी शेषमा का बास
2.नारायणराम पुत्र रतनाराम जाति मेघवाल निवासी शिव
3.हीराराम पुत्र हुकमाराम
4.मांगीलाल
5.पुसारा
6.हनुमानप्रसाद पुत्रान रेखाराम जाति मेघवंशी निवासीयान शेषमा का बास
7.पदमाराम
8.लिछमणराम
9.अर्जुनराम पुत्रान भूराराम
10.पिन्कू पत्नी भंवरलाल जाति नायक निवासीयान शेषमा का बास
11.शेवाराम पुत्र पुष्करराम
12.रामूराम पुत्र कानाराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण
13.सन्तोष पत्नी भंवरलाल जाति नायक
14.भींवाराम पुत्र हीराराम जाति मेघवंशी निवासी सुजानपुरा
15.मोहनराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी शेषमा का बास
16.हनुमानराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी शेषमा का बास
17.हनुमानराम पुत्र रामुराम जाति जाट निवासी शेषमा का बास
18.राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र कृषि भूमि से रास्ता दिलवाये जाने बाबत अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित 1.श्री प्रभूराम गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से ।
2.श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1,5,9 की ओर से ।

आदेश

दिनॉक :– 21/7/15

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम शेषमा का बास तहसील कुचामनसिटी की सरहद में प्रार्थीया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 1.34 हैक्टर आई हुई है जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है । प्रार्थीया की कृषि भूमि के पास पूर्व में अप्रार्थी संख्या 17,18,19 की खसरा नम्बर 231/107 व 240/107 कृषि भूमि आई हुई है एवं इनके दक्षिणी दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 से 16 की खसरा नम्बर 40 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.68 हैक्टर,खसर नम्बर 43 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नमबर 45 रकबा 0.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.60

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A2/18

हैक्टर, खसरा नम्बर 47 रकबा 1.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 48 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 222/7 रकबा 0.54 हैक्टर भूमि आई हुई है । अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 की भूमि खसरा नम्बर नम्बर 48 रकबा 1.05 हैक्टर के दक्षिणी कोने पर खसरा नम्बर 105 गै.मु.रास्ता आया हुआ है उक्त रास्ता ग्राम शेषमा के बास के खसरा नम्बर 49 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम तक जाता है जो कटाणी रास्ता है उक्त कटाणी रास्ते से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 13 के खसरा नम्बर 48 के पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे 12 फीट चौड़ा रास्ता आगे उत्तरी तरफ अप्रार्थीगण संख्या 14 ता 16 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 231/107, 232/28 के दक्षिण दिशा के पास से 12 फुट चौड़ा रास्ता जाता है। जिसे प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि मे कार्य करने हेतु ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है एवं फसल आदि का कार्य करते है । उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के कृषि भूमि में जाने के लिये कोई सरकारी व गैर सरकारी एवं कटाणी रास्ता नही है ।जिसे प्रार्थिया अपने कृषि भूमि मे कार्य कर सके उक्त रास्ता का नजरी नक्शा प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत किया है । प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि के पास पश्चिमी दिशा में अप्रार्थी संख्या 14,15,16 की खसरा नम्बर 231/107,232/28 की कृषि भूमि आई हुई है, एवं उसके पास दक्षिणी दिशा में खसरा नम्बर 48 की भूमि आई हुई है । खसरा नम्बर 105 के उत्तरी तरफ व खसरा नम्बर 48 के पूर्वी सींव के व खसरा नम्बर 231/107, व 240/107 के दक्षिणी सीव के पास पास 12 फीट चौड़ा रास्ता निरन्तर व निर्बाध रूप से प्रार्थीया उपयोग– उपभोग करते हुए आगे अपनी कृषि भूमि से फसल बाहर जाते है । उसी रास्ते से फसल बुवाई हेतु ट्रेक्टर आदि लाने का कार्य करते है । अप्रार्थीगणो के द्वारा प्रार्थीया की कृषि भूमि मे आने का रास्ता जो खसरा नम्बर 105 गै.मु.रास्ता के उत्तरी तरफ मार्क ए से बन्द कर खसरा नम्बर 48 के पूर्वी तरफ स्थित लाल स्याही से अंकित संलग्न नजरी नक्शे में रास्ते को बन्द कर अपनी भूमि खसरा नम्बर 48 की भूमि में मिलाना चाहते है एव उक्ता रास्ता जो लाल स्याही से दर्शित है । खसरा नम्बर 105 दक्षिणी तरफ गै.मु.रास्ते से खसरा नम्बर 48 की पूर्वी तरफ व खसरा नम्बर 231/107 व 240/107 के दक्षिण तरफ सींव के सहारे सहारे होते हुए कटाणी मार्ग जो ग्राम शेषमा का बास को जाता है उस रास्ते में कायम करवाना चाहते है । इसलिये प्रार्थीया को अपने अधिकारो की सुरक्षा हेतु यह प्रार्थना–पत्र वास्ते कृषि भूमि मे से रास्ता कायम करवाने बाबत पेश करना आवश्यक हुआ । प्रार्थीया की इस्तदुआ है कि ग्राम शेषमा का बास की सरहद मे स्थित प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 मे आने जाने के लिये अप्रार्थीगण संख्या 14,15,16 की खसरा नम्बर 240/107 व 231/107 की दक्षिणी तरफ व अप्रार्थी संख्या 1 ता 13 के खसरा नम्बर 48 के पूर्वी तरफ से खसरा नम्बर 48 के पूर्वी तरफ की स्थित 12 फीट चौड़ा रास्ता जो संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही से मार्क ए बी सी अंकित है को कायम कर ट्रेस नक्शें मे तरमीम करने का आदेश अप्रार्थीगण संख्या 18 व उसके एजेन्ट पटवार हल्का को दिये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 9 एवं 11 ता 20 के नोटीस तामील होकर प्राप्त,जो शामिल मिसल किये गये । वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 15 का नाम संहवन से लिखा गया है जिस हटाया जावे । अप्रार्थी 1 ता 9, व 11 ता 14,. व 16 ता 20, की तामील मानी गई । अप्रार्थी संख्या 1,5,9, का वकालतनामा श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया तथा शेष का वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा जिससे समय दिया गया । वकील प्रार्थी ने आर्डर 01 रूल्स 10 (2) सी.पी.सी का पेश किया । जिसकी नकल अप्रार्थी वकील को दिलाई गई । वकील अप्रार्थी ने जवाब बहस हेतु समय चाहा है जिसे समय दिया गया । पत्रावली केम्प कोर्ट पांचवा की होने से केम्प कोर्ट पाचंवा मे पेश हुई । पांचवा में पक्षकारान उपस्थित । राजीनामा हेतु समय चाहा ,समय दिया गया । मिसल केम्प कोर्ट कुकनवाली में दिनॉक 02.07.2015 को पेश हुई । वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के वकील एवं अप्रार्थीगण गैर हाजिर । वकील प्रार्थी के आर्डर 01 रूल्स 10 सी.पी.सी. का जवाब पेश नही करने पर वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर शामिल मिसल किया गया, वकील प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल उपलब्ध है । अप्रार्थी 15,16 ने प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए रास्ता हेतु अपनी सहमति प्रदान की । वकुलाय ने

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर.)

A3
19

बहस सुनाई । बहस सुनी बाद बहस प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र के संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने एवं मनन करने व गांव वालो ने बताया कि मौके पर रास्ता चालू होने पर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र की सुनवाई केम्प पांचवा में की गई । पांचवा में पक्षकारान की सहमति हेतु समय दिया जाकर पत्रावली केम्प कोर्ट कुकनवाली में पेश करने हेतु समय दिया गया । तहसीलदार कुचामनसिटी को मौका रिपोर्ट,एवं डी.एल.सी. दर पेश करने हेतु निर्देश दिये गये । आदेश माफिक पत्रावली केम्प कुकनवाली में पेश हुई । वकील प्रार्थी एवं प्रार्थीया स्वयं उपस्थित । वकील अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण गैर हाजिर । अप्रार्थीगण गैर हाजिर होने पर पत्रावली में एक तरफा सुनवाई की गई तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट का अवलोकन करने से उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से व गांव वालो ने प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता चालू बताने पर एवं अप्रार्थीगण केम्प पांचवा में उपस्थित एंव केम्प कुकनवाली में गैर हाजिर होने पर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र उपस्थित मौतबरान केम्प पांचवा ,एवं तहसीलदार कुचामनसिटी की मौका रिपोर्ट एवं वकील प्रार्थीय की बहस आदि का अवलोकन एवं मनन करने पर न्यायालय का मत है कि प्रार्थीया के खेत में जाने का एकमात्र यही रास्ता होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र काबिल स्वीकार कर निम्न प्रकार आदेश पारीत किया जाता है ।

आदेश

ग्राम शेषमा का बास में खसरा नम्बर 108 में प्रार्थीया के आने जाने एवं आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 240/107 रकबा 0.17हैक्टर में दक्षिणी माठ के सहारे सहारे 44 मीटर लम्बा एवं खसरा नम्बर 231/107 रकबा 0.65 हैक्टर मे से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे 25 मीटर लम्बा एवं खसरा नम्बर 48 रकबा 1.05 हैक्टर की पूर्वी माठ के सहारे सहारे 117 लम्बाई कुल लम्बाई (**44+25+117=186X4= 744 SQ.Metters**) का रास्ता कटाणी कायम किया जाता है । रास्ता भूमि का मुआवजा राशि प्रार्थीया ग्राम शेषमा का बास मे सिंचित भूमि 255000/रूपये प्रति हैक्टर से 744 वर्ग मीटर की राशि 18600/– की दुगुनी राशि 37200/– रूपये देय है । जिसका प्रार्थीया डीडी /बैंक ड्राफ्ट बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो । अप्रार्थीगण उक्त राशि एक माह के भीतर न्यायालय में उपस्थित आकर प्राप्त कर लेदे ।

आदेश आज दिनॉक 21/7/15 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

एवं सहायक कलेक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)